<u>प्रेस नोट दिनांक 13.11.2025</u>

<u>थाना-फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।</u>

<u>थाना फतेहगंज पश्चिमी #bareillypolice द्वारा अपहरण कर फिरौती मांगने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।</u>

<u>घटना का संक्षिप्त विवरणः-</u>

दिनांक 10.11.2025 को वादी गौरव वरपे पुत्र श्री मच्छींद्र वरपे निवासी सोनई थाना सोनई जनपद अहिलयानगर महाराष्ट्र हाल निवासी राजश्री मेडिकल कालेज बरेली ने अभियुक्तगण 1. सोनू पुत्र नामालूम निवासी नामालूम 2. दिविज पुत्र नामालूम निवासी नामालूम 3.अन्य अज्ञात के विरूद्ध खुद व खुद के दोस्त गौरवेंद्र को राधा कृष्ण मन्दिर से स्कूटी से आते समय ईको कार से स्कूटी के आगे लगाकर अपहरण कर लेने तथा यूपीआई का पिन पूछकर 60,000/- रूपये ट्रांसफर कर लेने तथा 50 लाख रूपये की फिरौती मांगना व जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मु0अ0सं0 437/2025 धारा 140(2)/351(3) बीएनएस कराया गया था ।

<u>सूचना , पुलिस टीम एंव कार्यवाहीः-</u>

अपराध एंव अपराधियों के विरूद्ध के तहत थाना फतेहगंज पश्चिमी बरेली पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 13.11.2025 मे थाना फतेहगंज पश्चिमी टीम उ0नि0 श्री योगेश कुमार व उ0नि0 श्री पंकज कुमार मय हमराही हे0का0 978 भूपेन्द्र सिंह तोमर द्वारा मुखबिर की सूचना से सरजू कट यात्री शेड के पास से अभियुक्त दिविज बहल पुत्र श्री विकास बहल नि0 A-2/41 सेक्टर 5 रोहिणी थाना विजय बिहार दिल्ली 110085 उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जो थाना फतेहगंज पश्चिमी पर मु0अ0सं0 437/2025 धारा 140(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त है । अभियुक्त दिविज बहल उपरोक्त को मा0न्या0 के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमाण्ड पर जिला कारागार भेजा गया । अन्य सह अभियुक्तों की तलाश व विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है ।

<u>पूछताछ एंव अभियुक्त का विवरणः-</u>

अभियुक्त दिविज बहल पुत्र श्री विकास बहल उम्र 22 वर्ष नि0 A-2/41 सेक्टर 5 रोहिणी थाना विजय बिहार दिल्ली 110085 का निवासी है । अभियुक्त राजश्री मेडिकल कॉलेज मे एम0बी0बी0एस0 थर्ड ईयर का छात्र हैं अभियुक्त ने बताया कि उस पर कई लोगो का कर्ज था जिसे चुकाने के लिये उसने अपने बेच के गौरव वरपे जिसके खाते मे लगभग 01 करोड रुपये होने की चर्चा थी । उसको अपहरण कर धन बसूलने की योजना बनाई । सितम्बर 2025 दिल्ली से लौटते समय उसकी मुलाकात टैक्सी चालक आकाश से हुई जिसने उसे अपराधी सोनू से मिलवाया दिविज ने अपराधी सोनू को गौरव के वारे मे जानकारी दी और किडनैपिंग के एवज में 10 लाख रूपये की पेशकश की । दिनांक 07.11.2025 को सोनू व उसके साथियो ने गौरव को अगवा करने का प्रयास किया जो असफल रहा दिनांक 09.11.2025 को सोनू व उसके साथी 03 मोटरसाइकिल और एक ईको वैन लेकर आये तथा पूर्व सुनियोजित बनाई हुई योजना के तहत गौरव वरपे दिविज वहल और गुरवेन्द्र जबरन वैन मे बैठा लिया गौरव वरपे का मोबाइल अपने कब्जे मे लेकर और योजनानुसार बदमाशो द्वारा दिविज को दे दिया गया और पासबर्ड पूछे गये । दिविज ने गौरव के मोबाइल से विभिन्न खातो से लगभग 60000 रुपये अपने खाते मे ट्रांसफर किये और सोनू को सोंप दिये और बाद मे अलग अलग एटीएम व व्यक्तियो से नगद रकम प्राप्त करने के भी प्रयास किये गये गौरव के खातो मे बडी राशि न मिलने पर दिविज ने गौरव के दोस्तो तथा पिता से सम्पर्क कर 50 लाख रुपये की फिरौती मांगने की प्रयास किया जिसकी सूचना दोस्तो द्वारा पुलिस को दी । पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही घटना की गम्भीरता को देखते हुए श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कई पुलिस टीमो को घटना के अपहरणकर्ताओ की गिरफ्तारी व अपहृताओ की सकुशल बरामदगी हेतु भेजा गया । पुलिस अपहृतो व गाडी को ट्रेस किया

गया तो पुलिस की कई गाडियो को देखकर अपहरणकर्ताओ द्वारा गौरव व गोरवेन्द्र को सुनशान स्थान पर छोडकर भाग गये और दिविज भी उनके साथ ही भाग गया था । तब से वांछित चल रहे दिविज की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर अन्य सहअभियुक्त सोनू, आकाश आदि की तलाश की जा रही है ।

पुलिस की सक्रियता से किसी बडी अनहोनी की आंशका से अपहताओं को बचाया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

दिविज बहल पुत्र श्री विकास बहल नि0 A-2/41 सेक्टर 5 रोहिणी थाना विजय बिहार दिल्ली 110085 उम्र 22 वर्ष।

प्रकरण के संबंध में पंजीकृत अभियोगः-

मु0अ0स0 437/2025 धारा 140(2)/351(3) बीएनएस थाना फतेहगंज पश्चिमी जनपद बरेली ।

पुलिस टीमः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री अभिषेक कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
2. निरीक्षक अपराध श्री वरुण कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
3. उ0नि0 श्री योगेश कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
4. उ0नि0 श्री पंकज कुमार थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।
5. हे0का0 678 भपेन्द्र सिंह थाना फतेहगंज पश्चिमी जिला बरेली ।